

आवासीय शहरी योजना मानचित्र

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी २०१० के अंतर्गत

"SWARN BHOOMI C- BLOCK"

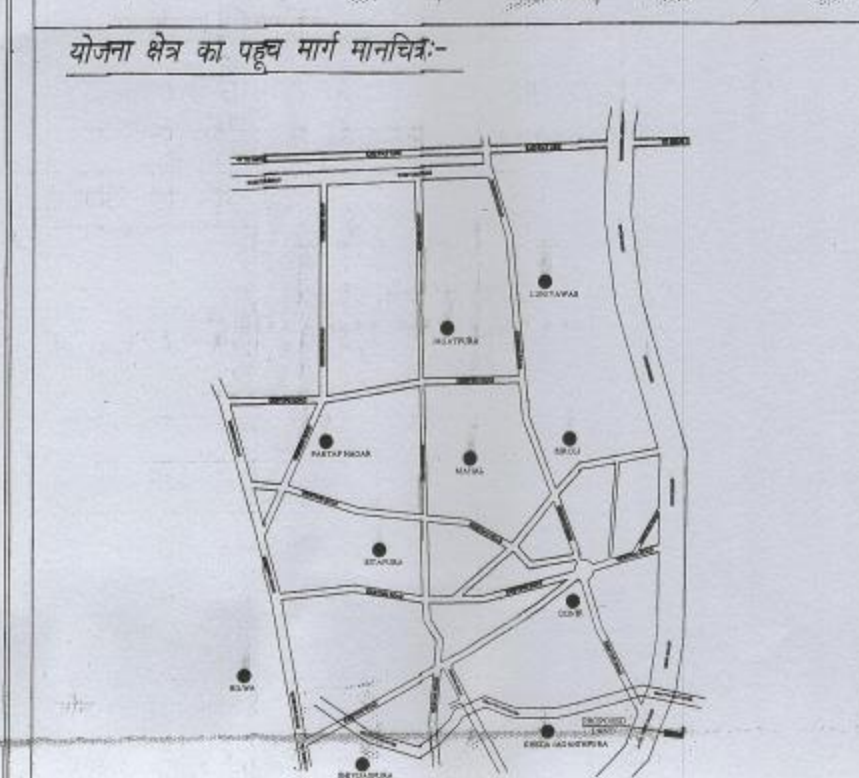
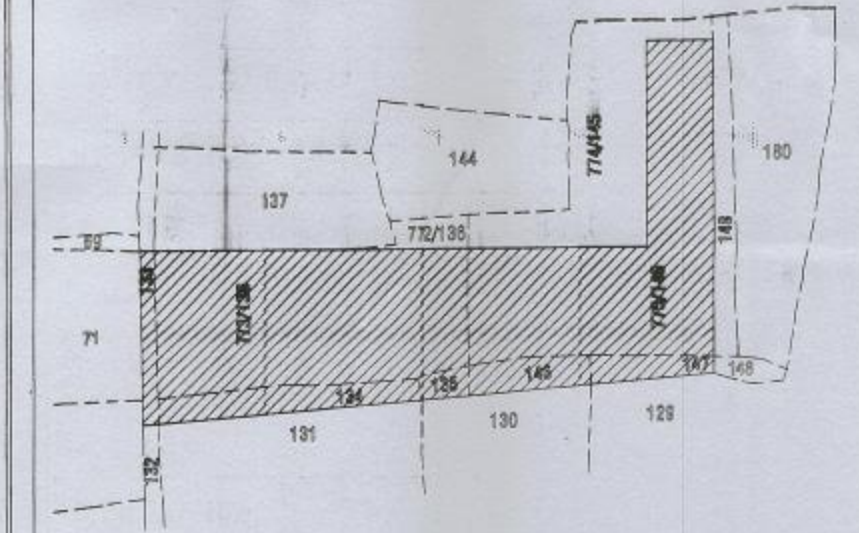
ग्राम :- रामपुरा वास गोनेर , तहसील - चाकसु , जिला - जयपुर, राजस्थान

प्लॉट नं.-1864463 रोल-03577

योजना क्षेत्र का खतरा मानचित्र:-

SN	KHASRA NO	RECORD AREA (SQ.MTR.)
1	133	500
2	773/136	7100
3	775/145	6400
4	134	1300
5	135	300
6	146	600
7	147	500
TOTAL AREA		16700

1438
B
7.8.24



योजना क्षेत्र का दिशा सूचक:-

योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के प्रमुखों की रचना :-
आवासीय भूखण्ड:- 01.10.62
खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड:- 01

योजना क्षेत्र का भू-उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल(व.मी.मे)	प्रतिशत
1.	आवासीय भूखण्ड	8917.43	53.40%
2.	खुदरा व्यवसायिक	201.39	01.20%
(A)कुल क्षेत्रफल (1 TO 2)		9118.82	54.60%
3.	पार्क	835.00	05.00%
4.	टोस कचरा प्रबंधन	50.00	00.30%
5.	मोबाइल टवर	20.00	00.12%
6.	सड़क	6676.18	39.98%
(B)कुल क्षेत्रफल (3 TO 6)		7581.18	45.40%
योजना क्षेत्रफल		16700.00	100.00%

प्रस्तावित योजना की आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 16700.00 व.मी. (01.67 हेक्टेयर)

योजना का नाम :-
आवासीय शहरी योजना मानचित्र
राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी २०१० के अंतर्गत
"SWARN BHOOMI C- BLOCK"

ग्राम :- रामपुरा वास गोनेर , तहसील - चाकसु , जिला - जयपुर, राजस्थान

योजना विकास कर्ता :-

जोन संख्या = 14
पैमाना = 1 : 500

योजना नं. :-
कैडमैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट नं. 1864463 रोल नं. 03577
प्लॉट नं. 1864463 रोल नं. 03577

जयपुर विकास प्राधिकरण

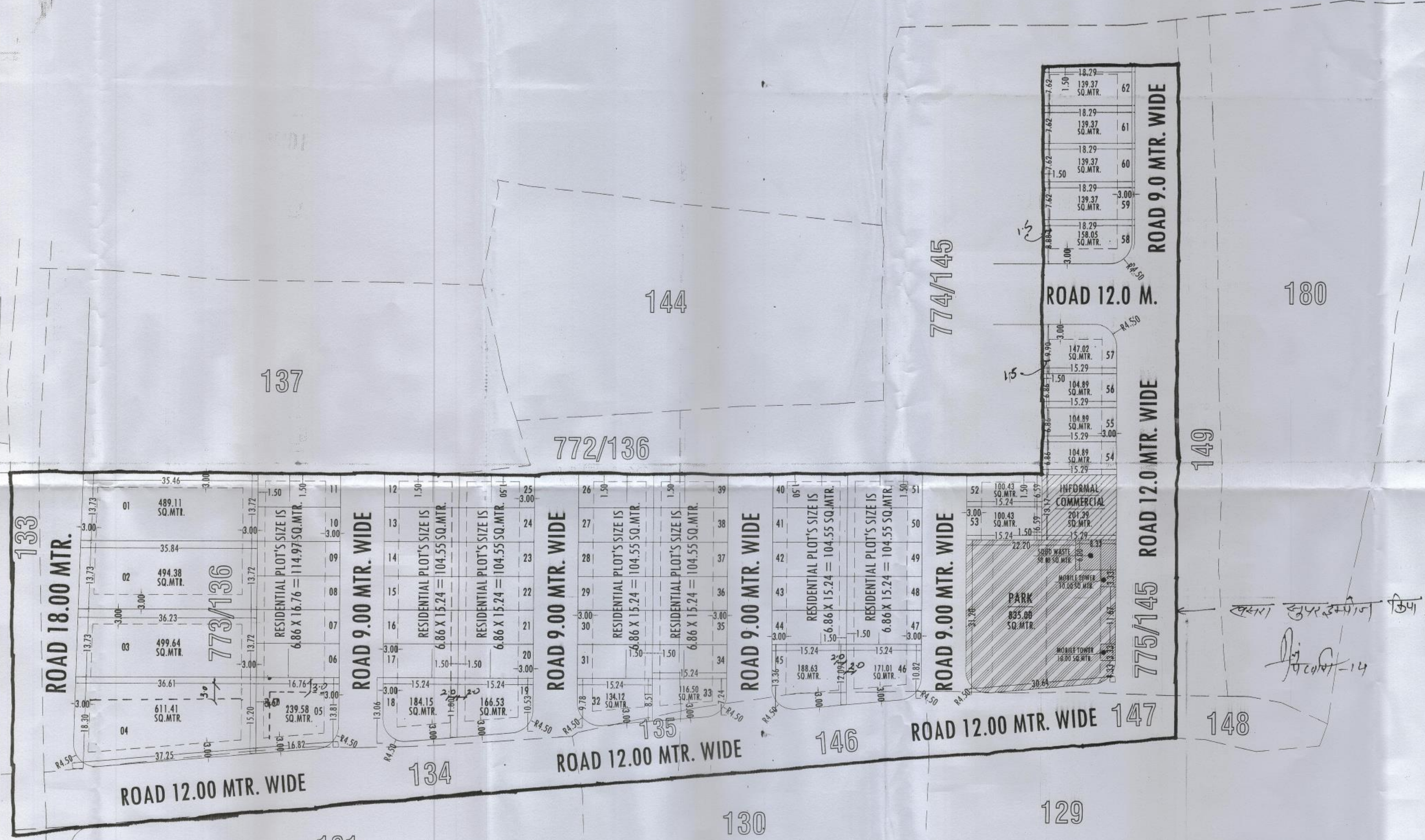


<< TO RING ROAD

<< TO RAMPURA WAS GONER

ROAD 18.00 MTR.

JDA APPROVED SCHEME
GOVERDHANDHAN
VIHAR C1- BLOCK



- नोट:-
- राजस्व ग्राम रामपुरा वास गोनेर तहसील चाकसु जिला जयपुर के खनं 133, 134, 135, 146, 147, 773/136, 775/145 कुल किला 07 कुन रकबा 01.67 हैक्ट. भूमि की 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2023-24/103145 दिनांक 14.02.2024 को की गयी है।
 - योजना की भूमि में राभूरा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डवलपमेन्ट प्लान प्लानिंग जोन-15 के अनुसार भू-उपयोग यू-2 एच.आई.जेड. दर्शित है।
 - योजना स्वर्ण भूमि सी-ब्लॉक का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 380वी बैठक दिनांक 24.07.2024 में किया गया है।
 - योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्राक्धान नविनि के आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बीपीसी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होंगे।
 - योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - योजना 2 हेक्टेयर से कम होने के कारण आवेदक से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के ऐंज में राशि ली गयी है।
 - प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जविप्रा विनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
 - आन्तरिक विकास कार्यों की एंज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के लिए भू.सं. 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 कुल भूखण्ड 09 कुल क्षेत्रफल 1143.30 वर्गमीटर रहन रखा गया है।



उप नगर नियोजक
जोन-14

तहसीलदार
जोन-14

उपायुक्त
जोन-14

बी.पी.सी. (एल.पी.)
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)